

गौण टियर-II पूंजी में गौण ऋण को शामिल करने के लिए मानदंड

1. बांड जारी करने की शर्तें

गौण टियर -II पूंजी में शामिल करने हेतु पात्रता के लिए, गौण ऋण लिखतों के रूप में बांड जारी करने की शर्तें निम्नलिखित के अनुरूप होंगी::

(ए) राशि

उठाए जाने वाले गौण ऋण की राशि बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तय की जाएगी।

(बी) परिपक्वता अवधि

(i) 5 वर्ष से कम की प्रारंभिक परिपक्वता अवधि वाले या एक वर्ष की शेष परिपक्वता वाले गौण ऋण लिखतों को टियर-II पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इन लिखतों को नीचे दर्शाई गई दरों पर परिपक्वता की ओर अग्रसर होने पर प्रगतिशील छूट के अधीन किया जाएगा:

लिखतों की शेष परिपक्वता	छूट की दर (%)
एक वर्ष से कम	100
एक वर्ष और उससे अधिक किन्तु दो वर्ष से कम	80
दो वर्ष और उससे अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम	60
तीन वर्ष और उससे अधिक किन्तु चार वर्ष से कम	40
चार वर्ष और उससे अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम	20

(ii) बांड की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की होगी। हालांकि, यदि बांड वर्ष की अंतिम तिमाही (01 जनवरी से 31 मार्च के बीच) में जारी किए जाते हैं तो उनकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि तिरसठ महीने की होगी।

(सी) ब्याज दर

कूपन दर बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा तय की जाएगी।

(डी) विकल्प

गौण ऋण लिखतों को 'विक्रय विकल्प' या 'वृद्धिशील विकल्प' के साथ जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, बैंक निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक का कठोरतापूर्वक अनुपालन के अधीन क्रय विकल्प के साथ लिखत जारी कर सकते हैं:

- (i) लिखत के कम से कम पांच वर्षों तक चलने के बाद क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है; और

- (ii) क्रय विकल्प का प्रयोग आरबीआई (विनियमन विभाग) के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा।
क्रय विकल्प का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ क्रय विकल्प के प्रयोग के समय और क्रय विकल्प के प्रयोग के बाद बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

(ई) अन्य शर्तें

- (i) लिखतों को पूरी तरह चुकता, गैर-जमानती, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधात्मक खंडों से मुक्त रखा जाएगा और धारक की पहल पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं किया जाएगा।
- (ii) एनआरआई/ एफआईआई को लिखत जारी करने के लिए विदेशी विनियमन विभाग से आवश्यक अनुमति ली जाएगी।
- (iii) बैंक लिखतों को जारी करने के संबंध में सेबी/अन्य विनियामकीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन करेंगे।

2. टियर II पूंजी में शामिल करना

गौण ऋण लिखत बैंक की टियर-1 पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होंगे। ये लिखत, टियर II पूंजी के अन्य घटकों सहित, टियर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

3. बांड के बदले अग्रिमों का अनुदान

बैंक अपने बांड की जमानत के बदले अग्रिम प्रदान नहीं करेंगे।

4. रिज़र्व आवश्यकताओं का अनुपालन

बैंक द्वारा उठाए गए अधीनस्थ ऋण की कुल राशि को रिज़र्व आवश्यकताओं के उद्देश्य से निवल मांग और मियादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में गिना जाएगा और इस प्रकार, इनपर सीआरएआर/ एसएलआर आवश्यकताएं लागू होंगी।

5. गौण ऋण में निवेश की गणना

इन निर्देशों के पैराग्राफ 14 में निर्धारित 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के अनुपालन की गणना करते समय अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के गौण ऋण में बैंकों द्वारा निवेश की गणना पूंजी की स्थिति के लिए पात्र अन्य लिखतों में निवेश के साथ की जाएगी। अन्य बैंकों द्वारा जारी गौण ऋण में बैंक के निवेश पर इन निर्देशों के पैराग्राफ 14 (iv) में निर्धारित पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारिता लागू की जाएगी।

6. भारतीय बैंकों द्वारा उठाए गए विदेशी मुद्रा में गौण ऋण

बैंक विदेशी मुद्रा में गौण ऋण जारी करने के लिए मामला-दर मामला आधार पर आरबीआई से संपर्क करेंगे।

7. खुदरा निवेशकों के लिए गौण ऋण

खुदरा निवेशकों को गौण ऋण जारी करने वाले बैंक निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे:

(ए) निवेशकों से लिखत की विशेषताओं और जोखिमों को समझ जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित ऋण निर्गम संबंधी सामान्य आवेदन पत्र में नीचे उद्धृत किए अनुसार विशिष्ट साइन-ऑफ की आवश्यकता को शामिल किया जाएगा।

" यह आवेदन करके, मैं/हम स्वीकार करते हैं कि मैंने/ हमने इनके [बैंक का नाम] द्वारा जारी निर्गम [जारी किए जा रहे लिखतों के नाम डालें] के मसौदा स्व विवरणिका, स्व विवरण और शृंखला दस्तावेज में किए गए प्रकटन के अनुसार नियमों और शर्तों को समझ लिया है"।

(बी) अस्थिर ब्याज दर वाली लिखतों के लिए बैंक अपनी सावधि जमा दर को बेंचमार्क के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे।

(सी) सभी प्रचार सामग्री, आवेदन पत्र और निवेशक के साथ संपादित अन्य पत्राचार स्पष्ट रूप से बोल्ड अक्षरों (फ्रॉन्ट आकार 14 के साथ) में यह लिखा जाएगा कि कैसे एक गौण बांड सावधि जमा से अलग है, विशेष रूप से यह जमा बीमा द्वारा सुरक्षित नहीं किया जाता है।

8. रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं

बैंक निर्गम की समाप्ति के तत्काल बाद आरबीआई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें स्ताव दस्तावेज की एक प्रति के साथ जुटाई गई पूंजी, जैसे कि जुटाई गई राशि, लिखत की परिपक्वता, ब्याज दर का ब्यौरा दिया जाएगा।

9. तुलन पत्र में वर्गीकरण

इन लिखतों को तुलन पत्र की अनुसूची 4 - उधारी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।